कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 15/02/2026**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 14.02.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. हत्या कर गंगा नदी मे फेकने वाली घटना का थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान तहत दिनांक 11.02.2026 को वादी श्री धर्मदेव सिंह यादव पुत्र स्व0 रामजनम सिंह यादव निवासी बारहबंगला थाना कोतवाली गाजीपुर द्वारा अपने पुत्र मनोहर सिंह यादव उम्र करीब 34 वर्ष के अज्ञात व्यक्तियो द्वारा अपहरण कर लेने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 92/2026 धारा 140(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना एसडीआरएफ की टीम व स्थानीय गोताखोर की मदद से शव मिलने तथा शव शिनाख्त होने पर उक्त मुकदमे बरामद साक्ष्यो के आधार पर धारा 140(3) BNS से 103(1), 238 BNS मे तरमीम करते हुए व अभियुक्त/अभियुक्ता 1. दीपा सिंह पुत्री उदयभान सिंह 2. परीक्षित सिंह पुत्र उदयभान सिंह निवासीगण ग्राम मेदनीपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर को नाम प्रकाश मे लाया गया तथा अभियुक्त 1. परीक्षित सिंह पुत्र उदयभान सिंह उम्र करीब 26 वर्ष व अभियुक्ता दीपा सिंह पुत्री उदयभान सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासीगण ग्राम मेदनीपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर को आज दिनांक 14.02.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त/अभियुक्ता विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पताः-

1 .परीक्षित सिंह पुत्र उदयभान सिंह उम्र करीब 26 वर्ष निवासी मेदनीपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 26 वर्ष

2 .दीपा सिंह पुत्री उदयभान सिंह निवासी मेदनीपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष

विवरण पूछताछ---

अभियुक्त परिक्षित सिंह पुत्र उदयभान सिंह से पूछताछ किया गया तो बताया गया कि मनोहर सिंह यादव मेरी बड़ी बहन दीपा सिंह उम्र 30 वर्ष का मित्र है वे दोनो कालेज के दिनो मे सहपाठी थे। मेरी बहन दीपा सिंह

एसबीआई बैंक मऊ मे जाब करती है। मनोहर सिंह यादव ने मेरी बहन से एक साल पूर्व 2.5 लाख रुपये उधार लिया था मेरी बहन ने अपना एफडी तोड़ कर रुपये दिया था। जिसे वापस नही कर रहा था इसी बात को लेकर मेरी बहन दीपा सिंह से वाद विवाद हुआ व बीच बीच मे शरीरिक व मानसिक रूप से परेशान करता था। जिस कारण मेरी बहन परेशान रहती थी मेरी द्वारा उसकी परेशानी देखकर उससे पूछा गया तो पहले वह बताने से इन्कार करती रही किन्तु एक दिन मुझसे सच्चाई बतायी कि मनोहर सिंह यादव उससे 2.5 लाख रुपया उधार लिया है और मांगने पर पैसा वापस न करते हुए इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है और बदनाम करने की धमकी दे रहा है तथा उसका एक अन्य लडकी से भी बातचीत होती है । जब यह बात मुझे पता चली तो मैने कहा कि अब तुम परेशान न हो अब जब तुमको मनोहर सिंह यादव मिलने के लिए बुलाये तो मुझे बताना। दिनांक 09.02.2026 को मनोहर ने मेरी बहन को 10 से 10.30 बजे के बीच में फोन किया था लगभग 11.00 - 11.15 बजे मेरी बहन ने मुझे बताया कि मनोहर मुझे रौजा तिराहे से शाम को घर छोड़ने आ रहा है फिर मैने कहा कि ठीक है जैसे ही तुमसे मिले मुझे मैसेज और फोन करके बताना और उसे लेकर गंगा नदी रेलवे पुल के नीचे सुहवल की तरफ लेकर आना मै वही पहले से इन्तजार करूगा। मनोहर सिंह यादव मेरी बहन को लेकर गंगा नदी पुल के नीचे आया। वहाँ मै पहले से मौजूद था। मैने व मेरी बहन ने पैसे वापस करने के बारे मे पूछा तो वह उल्टा हम लोगो को ही दोषी बताने लगा और कहने लगा कि न ही पैसा वापस करूगा। तुम्हारी बहन की बदनामी होगी मेरा कुछ नही होने वाला है। उसकी इन बातो से हम लोगो को बहुत गुस्सा आ गया और मनोहर सिंह यादव को हम दोनो ने गला दबाकर मार दिया और उसको वही गंगा नदी मे फेंक दिया। फिर मैने मोटर साइकिल के दोनो तरफ नम्बर प्लेट पर मिट्टी लगाकर गंगा नदी पुल पर ले जाकर खड़ी कर दिया था और वही पुल पर से उसका हेलमेट व गाड़ी की चाभी व मोबाइल पुल से नीचे नदी मे फेंक दिया था।

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास</u>

1.मु0अ0सं0 92/2026 धारा 103(1), 238 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर